Fortnightly per copy Rs. 4/- only

3rd October 2018

ओ३म्

आर्य जीवन

ఆర్య జీవన

संस्कृति संरक्षण व सामाजिक परिवर्तन का संकल्प

హిందీ-తెలుగు ద్విభాషా పక్ష పత్రిక

Date of Publication 2nd & 17th of every Month

Date of posting 3rd and 18th of every month

आर्य प्रतिनिधि सभा आ.प्र.-तेलंगाना के तत्वावधान में

श्रीमद् दयानन्द वैदिक गुरुकुल परिषद् का

प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन ३० सितम्बर २०१८ के दिन
पंडित नरेन्द्र भवन, राजमोहल्ला, हैदराबाद में सम्पन्न होगा
वैदिक गुरुकुल परिषद् के राष्ट्रीय अधिवेशन का
उद्घाटन प्रातः यज्ञ सम्पन्न होने के बाद
परिषद् के अध्यक्ष

स्वामी प्रणवानन्द सरस्वती

के करकमलों से दीप प्रज्वलित कर किया जाएगा
सायंकाल अधिवेशन का समापन समारोह होगा
जिसमें गणमान्य नेताओं के संदेश होंगे तथा समापन समारोह में
भारत के समस्त गुरुकुलों से पधारे हुए
आचार्य एवं आचार्याओं का आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से सम्मान होगा
गुरुकुल की जन्मभूमि गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय विभाग परिसर में
दिनांक ६, ७, ८ जुलाई २०१८ को आयोजित

अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल महासम्मेलन

में भारत के समस्त गुरुकुलों की शक्ति को समीकृत कर एक सशक्त संगठन
खड़ा करने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया। तदानुसार
श्रीमद् दयानन्द वैदिक गुरुकुल परिषद् का गठन हुआ।
परिषद् के प्रथम अध्यक्ष गुरुकुलों के जनक आदरणीय पूज्य
स्वामी प्रणवानन्द सरस्वती जी निर्वाचित हुए
गुरुकुलों की जीवन शैली ही आज की शिक्षा पद्धती का विकल्प है।
केवल जीवन शैली ही नहीं यह जीवन शैली एक सामाजिक ताने-बाने का तथा
आधुनिक युग में वैकल्पिक विकास की अवधारणा भी है।
अतः गुरुकुलों के संगठन को मजबूत कर प्राचीन ऋषिमुनियों के मार्गदर्शन के अनुसार भावी भारत का निर्माण करना है।
अन्तर्राष्ट्रीय गुरुकुल महासम्मेलन की कड़ी में ही श्रीमद् दयानन्द वैदिक गुरुकुल परिषद् का
यह राष्ट्रीय अधिवेशन है। अधिवेशन में आगन्तुक सभी महानुभावों का, माताओं का आर्य प्रतिनिधि आ.प्र.-तेलंगाना
की ओर से हार्दिक स्वागत है। हमें विश्वास है राष्ट्रीय अधिवेशन में गुरुकुलों के पाठ्यक्रम, गुरुकुलों की समस्याओं,
गुरुकुल संगठन के संविधान तथा गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को वैकल्पिक शिक्षा पद्धति के साथ-साथ वैकल्पिक
सामाजिक व्यवस्था और राष्ट्रीय विकल्प पर चिंतन-मनन कर भावी भारत के विकल्प को प्रस्तुत करेगा।
पुनः एकबार आप सभी का स्वागत।

अन्तर्राष्ट्रीय गुरुकुल महासम्मेलन हरिद्वार में प्रस्तावित प्रस्तावों के अंश

1. महर्षि दयानन्द सरस्वती एवं ऋषि–मुनियों की परम्परा में आर्ष शिक्षा पद्धति भारतीय जीवनशैली की मुख्यधारा रही है। इस पद्धति ने मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने, समाज और राष्ट्र से जोड़ने तथा उसके अस्तित्व को प्रकृति के साथ जोड़कर जीने का विधान बनाया है। भारत और पूरे विश्व के देशों ने जिस विकास के मॉडल को लेकर कार्य कर रहे हैं वह मानव अस्तित्व के साथ पशु–पक्षी, कीट–पतंग आदि के अस्तित्व को भी खतरे में डाल दिया है। यहाँ तक कि प्रकृति से सम्बन्धित स्रोतों को भी सम्पूर्ण विनाश की तरफ ले जाते हुए विश्व ही नहीं ब्रह्माण्ड में भी खतरा पैदा कर रहे हैं। अतः विकास की अवधारणा को मानव, पशु–पक्षी और प्रकृति के अस्तित्व से जोड़ते हुए आगे बढ़ाने की जरूरत है। अस्तित्व की भावना को शिक्षा पद्धति के द्वारा ही लागू किया जा सकता है। शिक्षा की मूल भावना जहाँ व्यक्ति निमार्ण की हो वहीं पर समष्टि निर्माण व न्याय की हो। समष्टि निर्माण व्यक्ति की उदारवादी विचारधारा से सम्बन्ध रखती है। अतः वेद की यह उक्ति कि – **यत्र विश्वम् भवत्येकनीडम्** की भावना अर्थात् हम सब एक घोसले में रहने वाले प्राणी हैं। यही वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को व्यक्त करती है। इस भावना से जुड़ी हुई आर्ष शिक्षा प्रणाली जहाँ अपनी पुरानी संस्कृत और संस्कृत साहित्य की धरोहर की रक्षा करती है वहीं पर स्व व स्वाभिमान की भावना को भी जगाती है तथा विश्व को एक समुदाय के रूप में आगे बढ़ाने का संस्कार देती है। यह संस्कार ही परोपकार, प्रेम, न्याय, आत्मीयता की मूल भावना से जुड़ी आध्यात्मिकता की कड़ी है। अतः इस आध्यामिकता की मूल अवधारणा से अर्थात् समानता (एक जैसी व्यवस्था) और समतामूलक अवधारणा जुड़कर विकास की अवधारणा को सुनिश्चित करने की शिक्षा पद्धति ही वैकल्पिक शिक्षा पद्धति हो सकती है। अतः इस पर चिन्तन कर सरकारों को, समाज को प्रेरित करने का कार्य गुरुकुल महासम्मेलन के द्वारा होना चाहिए।

2. आर्य समाज व आर्य समाज की विचारधारा या स्वामी दयानन्द सरस्वती और ऋषि–मुनियों की परम्परा से जुड़कर जितने भी गुरुकुल भारत या भारत के बाहर संचालित हो रहे हैं उन सबको एक जगह न केवल आने की जरूरत है, बल्कि एक आर्ष पद्धति के पाठ्यक्रम को भी बनाकर सरकारी संस्कृत शिक्षा बोर्डों से मान्यता प्राप्त करने की भी जरूरत है। इस ओर कुछ काम हुआ है पर अभी प्राचीन शिक्षा के पाठ्यक्रम को विशेष रूप से लागू करवाने के लिए तथा सभी प्रान्तों में काम कर रहे गुरुकुलों को मान्यता दिलवाने के लिए केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड के गठन पर भी जोर दिया जाना चाहिए। इसके सम्भव होने पर गुरुकुलों में पढ़े–लिखे छात्र अपनी प्रतिभाओं को सीमित दायरे से विस्तृत दायरे में ले जाने के काबिल हो जाते हैं और विश्व प्रतिभाओं के सामने अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने तथा अपने आपको समाजोपयोगी बनाने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय गुरुकुल महासम्मेलन के संदर्भ में यह प्रस्ताव इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि दिन–प्रतिदिन हो रहे नैतिक मूल्यों के ह्रास के कारण समाज टूटते हुए नजर आ रहा है और भौतिकवादी, भोगवादी बनते जा रहा है। अतः अध्यात्म की मूल अवधारणा को व्यक्ति से लेकर समाज तक मजबूत करने के लिए सरकारों को नीतिगत फैसले लेने के लिए बाध्य किया जाये। इस कार्य को सभी गुरुकुल इकट्ठे होकर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

3. भारतीय शिक्षा पद्धति में, शिक्षा का दायित्व समाज और राजाओं पर रहा है। आज के इस आधुनिक तथा आर्थिक दुनिया में मुख्य रूप से यह दायित्व सरकारों पर है। आज तक गुरुकुलों की व्यवस्था सामाजिक दायित्व को समझने वाले दान–दाताओं के भरोसे चलती रही है। और पिछले 100 वर्षों से इस दायित्व को दानी महानुभाव और आर्य समाज के प्रबुद्ध महानुभावों और आचार्यों के माध्यम से चलाते हुए एक अद्‌भुत इतिहास की रचना की है और 100–125 वर्षों के इतिहास में कई महात्माओं ने, विद्वानों ने अपना सब कुछ त्यागकर, सर्वमना समर्पित होकर प्राचीन ऋषि–मुनियों की परम्परा को पुर्नस्थापित करने के लिए कार्य किया है और कर रहे हैं। पिछले 100 साल के इतिहास में गुरुकुलों ने अनेकों दिग्गज विद्वानों को भी पैदा किया है। महर्षि दयानन्द सरस्वती के निर्देशानुसार आर्ष शिक्षा प्रणाली को न केवल स्थापित किया बल्कि विश्व में संस्कृत, व्याकरण और साहित्य में, वेद, दर्शन और उपनिषद् के क्षेत्र में आर्य विद्वानों का कोई भी सानी नहीं रहा है और न है। ऐसी अभूतपूर्व शिक्षा प्रणाली को चलाकर आर्य समाज ने या आर्य समाज के माध्यम से विद्वानों ने जो कार्य किया है वह ऐतिहासिक धरोहर रही है। **अतः आवश्यक है कि ऐसे गुरुकुलों को तथा ऐसी शिक्षा प्रणाली को सुरक्षित रखने और आगे चलाये रखने के लिए सरकारों के द्वारा गुरुकुलों को आर्थिक रूप से मदद दिलवाकर उसको मजबूती प्रदान किया जाये।**

श्रीमद् दयानन्द वैदिक गुरुकुल परिषद्

प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन ३० सितम्बर २०१८

स्थान : श्री नरेन्द्र भवन, राजमोहल्ला, सुल्तान बाजार, हैदराबाद

अधिवेशन में प्रस्तावित बिन्दु

१. श्रीमद् दयानन्द वैदिक गुरुकुल परिषद् नियमावली एवं पंजीकरण।
२. वैदिक-सिध्दान्त-पाठ्यक्रम का संचालन।
३. पाठ्यक्रम-परीक्षा नियन्त्रक समिति।
४. प्रतियोगिताओं का आयोजन।
५. प्रतियोगिता आयोजन समिति।
६. गुरुकुल वैशिष्ट्य-कार्यप्रणाली का अध्ययन एवं सहयोग प्रस्ताव समिति।
७. राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से गुरुकुल सहायतार्थ प्रस्ताव एवं विमर्श।
८. शासन द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यपुस्तकों के समायोजन हेतु तत्सम्बन्धी अधिकारियों एवं सरकार से सम्बन्ध स्थापनार्थ विमर्श।
९. श्रीमद् दयानन्द वैदिक गुरुकुल परिषद् संचालन हेतु अर्थ संग्रह प्रस्ताव।
१०. अन्य विषय अध्यक्ष जी की आज्ञा से।

श्रीमद् दयानन्द वैदिक गुरुकुल परिषद्

प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन ३० सितम्बर २०१८

स्थान : श्री नरेन्द्र भवन, राजमोहल्ला, सुल्तान बाजार, हैदराबाद

प्रस्तावित सैध्दान्तिक पाठ्यक्रम

क्र.	कक्षा	पाठ्य पुस्तक
१.	प्रथमा श्रेणी ६, ७, ८	बालशिक्षा, व्यवहारभानु, पंचमहायज्ञविधि, वैदिक धर्मप्रश्नोत्तरी संक्षिप्त जीवन चरित्र, गुरु विरजानन्द, महर्षि दयानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द, पं. लेखराम, पं. गुरुदत्त विद्यार्थी, स्वामी दर्शनानन्द,
२.	मध्यमा श्रेणी ९-१०, ११-१२	संस्कारविधि मूलपाठ, सत्यार्थप्रकाश १ से ६ समुल्लास पर्यन्त पूर्वमध्यमा-उत्तरमध्यमा आर्योद्देश्यरत्नमाला, स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशः, जीवन चरित्र आर्यसमाज के बलिदानी, शास्त्रार्थ महारथी, उपदेशक एवं आचार्य, दो मित्रों की बातें
३	शास्त्री-आचार्य स्नातक-स्नातकोत्तर (B.A- M.A)	सत्यार्थप्रकाश ७ से १४ समुल्लास पर्यन्त ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (चयनित प्रकरण) उपनिषद् प्रकाश, संस्कार विधि (प्रायोगिक) अरब में सात साल पं. रुचिराम शर्मा शास्त्रार्थ विमर्श (विषय - कर्म, सृष्टिउत्पत्ति, वेद, ईश्वर, जीव, प्रकशति, मोक्ष आदि)

अन्तर्राष्ट्रिय गुरुकुल महासम्मेलन, हरिद्वार में गुरुकुल शिक्षा पद्धति के लिए प्रस्तावित बिन्दु

१. गुरुकुल शिक्षा पद्धति का स्वरूप –

गुरुकुल शिक्षा पद्धति विश्व की सबसे प्राचीनतम शिक्षा पद्धति है । जिसके द्वारा भारत सहित सम्पूर्ण विश्व में निरन्तर नवीन शैक्षणिक व वैज्ञानिक तथ्यों पर अनुसन्धानपरक कार्य होता रहा है। समस्त वैदिक वाङ्मय की उत्पत्ति में भी गुरुकुल शिक्षा पद्धति का ही योगदान है, क्योंकि एकान्त शान्त वन्य वातावरण में ऋषियों ने अपने शिष्यों के साथ गम्भीर चिन्तन व मनन कर जो निःश्रेयस व अभ्युदय के लिए परम हितकर था, उसी का सूत्ररूप में विन्यास वैदिक वाङ्मय में किया है। वैदिक वाङ्मय के चिन्तन से लाभान्वित होकर के ही समस्त विश्व ने भारत को विश्वगुरु माना था। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति के कारण ही भारत विश्व का ज्ञानदाता बना था ।

प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति के कारण ही भारत में कला, गणित, भूगोल, खगोल, विज्ञानादि की अद्वितीय गवेषणाएँ हुई थी। आधुनिक युग के वैज्ञानिक भी इन गवेषणाओं को प्रमाणरूप स्वीकार करते हैं।

गुरुकुल शिक्षा पद्धति को जिन वैदिक शिक्षा-विज्ञों ने शिक्षणालय को 'कुल' या 'परिवार' का नाम दिया था, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अत्यन्त क्रान्तिकारी विचार को जन्म दिया था, ऐसा क्रान्तिकारी विचार जिसके आधार पर बिना रक्तपात किये समाजवाद का भवन अपने-आप उठ खड़ा हो।

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः ।
तं रात्रीस्तिस्त्र उदरे विभर्ति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः ।

–अथर्व. कां. ११, अनुवाक २, व. ४, मन्त्र २

अर्थात् बालक को शिक्षा देने के लिए स्वीकार करते हुए आचार्य उसे इस प्रकार सुरक्षित, संभाल कर रखता है, जैसे माता पुत्र को अपने गर्भ में सुरक्षित, संभाल कर रखती है। क्या गुरु और शिष्य का सम्बन्ध का इससे ऊँचा चित्र खीचा जा सकता है? गर्भ माता के पेट में रहता है। माता श्वास लेती है, गर्भ श्वास नहीं लेता, माता भोजन करती है, गर्भ भोजन नहीं करता, माता जल पीती है, गर्भ जल नहीं पीता, परन्तु माता के श्वास में उसका श्वास है, माता के भोजन में उसका भोजन है, माता के जल-पान में उसका जल-पान है। गुरु तथा शिष्य के निकटतम सम्बन्ध को समझाने के लिए माता तथा गर्भ के सम्बन्ध से अधिक सुन्दर दूसरी उपमा क्या दी जा सकती है?

काल की विकराल गति के कारण शनैः शनैः इस शिक्षा परम्परा का ह्रास होता चला गया, जिसके कारण भारत में प्राचीन ज्ञान-विज्ञान भी लुप्तप्राय हो गया था। इस प्राचीन गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का पुनः उन्नयन करने के लिए अनेक महापुरुषों ने परम पुरुषार्थ किया था। इस शृंखला में महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती व उनके शिष्य स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती जी का योगदान अविस्मरणीय है। स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश में जो शिक्षा व्यवस्था निर्दिष्ट की गयी है, उस शिक्षा पद्धति का अनुसरण कर स्वामी श्रद्धानन्द जी ने गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार की स्थापना करके अनेक ऐसे स्नातकों का निर्माण किया, जो वेद, दर्शन, उपनिषद्, व्याकरण आदि शास्त्रों के परम विद्वान् होने के साथ-साथ अन्य आधुनिक विषयों में भी पारंगत थे। उनके अद्भुत ज्ञान के प्रशंसक भारतीय मनीषी ही नहीं अपितु विदेशी विद्वान् भी थे। उसी गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का सम्पोषण करते हुए भारत में अनेक गुरुकुलों की स्थापना हुई, जहाँ से सहस्रशः वैदिक विद्वान् निकलकर अपनी अर्जित योग्यता से वेद, उपनिषद्, योग आदि का ज्ञान विश्व में वितरित कर रहे हैं। अतः यह तथ्य पूर्णतः स्पष्ट है कि वर्तमान में प्राचीन ज्ञान-विज्ञान की राशि की सुरक्षा व प्रचार-प्रसार का कार्य यह गुरुकुल शिक्षा पद्धति ही कर रही है। अतः इस अद्वितीय शिक्षा परम्परा का विकास व सम्पोषण अनिवार्य हो जाता है।

गुरुकुल शिक्षा पद्धति में आचार्य अन्तेवासी ब्रह्मचारी एकत्र रहकर विद्या अभ्यास करते हैं। इस परम्पर में ब्रह्मचारी बालक निरन्तर आचार्य के समक्ष रहता है, जिसके कारण ब्रह्मचारी बालक निरन्तर अपने सर्वांगीण विकास के कार्यों में ही संलग्न रहता है। आचार्य के भय से वह अहितकर कार्यों में प्रवृत्त नहीं होता है। आचार्य ब्रह्मचारी बालक को एक दैनिक दिनचर्या के अनुसार परिपोषित कर कुछ ही वर्षों में योग्य नागरिक बना देता है। जो विश्व के किसी भी क्षेत्र में जाकर कैसी भी विषम परिस्थिति में अपने को व्यवस्थित कर अग्रणी बन जाता है। वर्तमान में इसी गुरुकुल शिक्षा पद्धति का अनुकरण कर नवोदय विद्यालय तथा अनेक व्यक्तिगत आवासीय विद्यालय सम्पूर्ण विश्व में बनते जा रहे हैं, जिनसे अनेक योग्य स्नातक निकल रहे हैं। इन आवासीय शिक्षण संस्थाओं ने अपना विकास इसी गुरुकुल शिक्षा परम्परा को आधार बनाकर किया है। अतः हमें भी पूर्ण मनोयोग से गुरुकुल शिक्षा पद्धति के विकास व उन्नयन का कार्य करना चाहिए। जब तक गुरुकुल शिक्षा पद्धति को राज्याश्रय प्राप्त था तो सम्पूर्ण भारत में यह परम्परा अक्षुण्णरूप में बनी हुई थी। राज्याश्रय की समाप्ति के बाद भारत के महापुरुषों ने व्यक्तिगत प्रयासों से इसे वर्तमान तक जीवित रखा है। अतः वर्तमान में भारत सरकार व अन्य राज्य सरकारों का यह दायित्व बनता है कि भारत की इस अद्वितीय प्राचीन गुरुकुल शिक्षा परम्परा की सुरक्षा कर इसको अपना पूर्ण समर्थन व सहयोग प्रदान करें।

२. सामाजिक समरसता एवं गुरुकुल शिक्षा पद्धति -

'सत्यं वद। धर्मं चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः। ...सत्यान्न प्रमदितव्यम्। धर्मान्न प्रमदितव्यम्। कुशलान्न प्रमदितव्यम्। स्वाध्यायप्रवचनाभ्याम् न प्रमदितव्यम्। ...मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्य देवो भव। अतिथि देवो भव।कृकृ...एष उपदेशः, एषा वेदोपनिषद्, एतदनुशासनम् । तैत्तिरीयोपनिषद् - प्रपा. ६, अनु. कं. १,२,३

शिक्षा-संस्था में अध्ययन समाप्त करने के बाद जब ब्रह्मचारी घर को लौटता है, तब आचार्य उसे उपदेश देते हुए-जिसे आजकल 'दीक्षान्त-भाषण' कहा जाता है- कहता है कि गुरु के पास तुमने जो-कुछ सीखा उससे तुमसे यह आशा की जाती है कि तुम जीवन में सत्य का आचरण करोगे, धार्मिक जीवन बिताओगे, माता-पिता की सेवा करोगे, अपने बड़ों का सम्मान करोगे। अब विश्वविद्यालयों ने भी दीक्षान्त-भाषण देते हुए तैत्तिरीयोपनिषद् के इन्हीं वाक्यों का उच्चारण करना शुरू कर दिया है। परन्तु क्या हमारी शिक्षा सचमुच ऐसे युवक तैयार कर रही है? बार-बार सिर्फ यही रटा जा रहा है कि षिक्षा का उद्देश्य युवक-युवतियों को रोटी कमाने लायक बनाना है-यह तो ठीक है, परन्तु शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को मनुष्य बनाना पहले है। चौदह-सोलह साल जबतक विद्यार्थी शिक्षणालय में अध्ययन करता है, हम उसे नहीं बतलाते कि जीवन क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, परीक्षा पास करा लेने के बाद दीक्षान्त करा देते हैं। यह शिक्षा नहीं, शिक्षा की विडम्बना है। गुरुकुल-शिक्षा-पद्धति में आचार्य विद्यार्थी को गुरुकुल में प्रविष्ट करते हुए उसके सामने एक निश्चित कार्यक्रम रखता था और शिक्षा समाप्त कर गुरुकुल से लौटते समय उसे चुनौति का सामना करने के लिए सतर्क करता था जो जीवन में उसके सामने आने वाली थी। आचार्य का कहना था कि रोटी ते तुम कमाओगे ही, पेट तो तुम भरोगे ही, परन्तु याद रखना- जो कुछ करना परन्तु मनुष्य बने रहना, इस संस्था में मनुष्यता के जो गुण सीखे हैं उन्हें मत भूलना। मनुष्य का निर्माण ही समाजिक समरस्ता का प्रमुख केन्द्र है।

वर्तमान में समाज में अनेक विखण्डनकारी समस्याएँ निरन्तर अंकुरित हो रही है, जिनके कारण समाज की समरसता समाप्त होती जा रही है। आज जातिवाद, प्रान्तवाद, अर्थवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद व पारस्पारिक ईर्ष्या द्वेष ने समाज में विषमता उत्पन्न कर दी है। इस विषमता को केवल मात्र गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि इस शिक्षा पद्धति में प्रारम्भ से ही इन अवगुणों का कोई स्थान नहीं है। आज देश में राष्ट्रप्रेम की महती न्यूनता आ रही है। जिसके कारण देश विभाजनकारी समस्याओं से निरन्तर दो-दो हाथ हो रहा है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति द्वारा आर्ष ग्रन्थों को पढकर छात्र सदा राष्ट्रप्रेमी व प्रकृतिप्रेमी रहता है। अतः यह आवश्यक है कि सामाजिक समरसता की स्थापना के लिए गुरुकुलों की शिक्षा पद्धति का समावेश भारतीय शिक्षा प(ति में करना अनिवार्य

है ।

३. गुरुकुल शिक्षा पद्धति की विशेषता व उपादेयता -

१. गुरुकुल शिक्षा पद्धति में जातिगत कोई भेदभाव नहीं है। अतः बालक जातिगत मनोविकारों को विस्मरित कर अपना विकास करता है तथा बालक सदा के लिए जाति के कुचक्र से मुक्त हो जाता है।

२. गुरुकुल शिक्षा पद्धति में परिवारों की आर्थिक स्थिति का बालक पर कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि गुरुकुल में सभी समान वेशभूषा, समान भोजन, समान आवासीय व्यवस्था, समान शैक्षिक वातावरण में रहते हैं, जिससे कारण बालक की आर्थिक भेदभाव सदा-सदा के लिए समाप्त हो जाता है।

३. गुरुकुल शिक्षा पद्धति में बालक सांसारिक चक्रों से मुक्त रहकर अध्ययन करता है। गुरुकुलमें उसे केवल अपने अध्ययन व विकास की चिन्ता होती है। वह अन्य सभी पारिवारिक चिन्ताओं व समस्याओं से दूर रहकर केवल केन्द्रित होकर अपना विकास करता है।

४. गुरुकुल शिक्षा पद्धति में बालक व्यवस्थित दिनचर्या में रहकर अनुशासनयुक्त हो जाता है। जिसका उसके जीवन पर अद्वितीय प्रभाव होता है।

५. गुरुकुल शिक्षा पद्धतिमें बालक कठोर नियमों को पालन कर दृढ व तपस्वी बन जाता है। जिसके कारण वह किसी भी परिस्थिति में व्यवस्थित बना रहता है।

६. गुरुकुल शिक्षा पद्धति में वैदिक वाङ्मय का अध्ययन कर बालक अपनी प्राचीन ज्ञानराशि से परिचित होता है। जिसके कारण उसमें राष्ट्रवाद का उदय होता है।

७. गुरुकुल शिक्षा पद्धति में अध्ययन कर बालक का सर्वांगीण विकास होता है। जिसके कारण वह आत्मिक, शारीरिक व सामाजिक उन्नति कर सुचारुतया आत्मिक, शारीरिक व सामाजिक उन्नति कर पाता है।

उपर्युक्त विशेषताओं से परिपूर्ण गुरुकुल शिक्षा पद्धति से पढा अधीत जातिवाद, प्रान्तवाद, धर्मवाद आदि भयंकर वादों से मुक्त रहता है।

४. महर्षि दयानन्द के वेदभाष्य की अवधारणा एवं स्थापना -

महर्षि दयानन्द का चिन्तन धर्म, जाति व सम्प्रदाय से ऊपर उठकर केवल मानवमात्र का हित करना रहा है। उनका यह चिन्तन वेदों से अनुप्रेरित है, क्योंकि वेद में प्राणिमात्र के हित के लिए चर्चा की गयी है। वेद किसी धर्म विशेष, देशविशेष अथवा सम्प्रदायविशेष की निधि नहीं है। वेद सार्वदेशिक व सार्वकालिक है। वेदों का ज्ञान समस्त संसार के लोगों के हित के लिए है। वेद **'वसुधैव कुटुम्बकम्' 'सर्वे भवन्तु सुखिनः'** की भावनाओं से परिपूर्ण है।

वेद में ज्ञान-विज्ञान का सूक्ष्म चिन्तन बीजरूप में अवस्थित है। वेद सूत्ररूप में हमें सभी ज्ञान-विज्ञानों की शिक्षा प्रदान करता है। वर्तमान में प्रसारित विज्ञान का मूल सूत्र भी वेदों में ही निहित है। वेद में ऐसा कोई तथ्य निहित नहीं है, जो मानवमात्र के लिए अथवा प्रकृति के लिए अहितकर हो।

वेदों के भाष्यकार सायण, महीधर, उव्वट आदि ने अपने भाष्यों में अनेकत्र वेद की सार्वभौमता व व्यापकता को समाप्त कर दिया है। अनेक शब्दों का ऐतिहासिक अर्थकर वेद की व्यापकता व प्राचीनता पर ही प्रश्न चिह्न लगा दिया है। अनेक भाष्यकारों ने कुछ वेद मन्त्रों में गोहत्या आदि का दिग्दर्शन कराकर अपनी सनातन वैदिक परम्परा के विनाश का मार्ग ही खोल दिया है। कुछ भाष्यकारों ने वेद के मन्त्रों का अश्लीलता परक अर्थ भी किया है। जिससे वेदों पर विदेशी विद्वानों ने अनेक आक्षेप भी लगाये हैं। इन सबका कारण वेद के मन्त्रों का यथोचित भाष्य का उपलब्ध न होना है। इस विषम समस्या का समाधान महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने अपने वेदभाष्य में प्रस्तुत किया है। स्वामी दयानन्द का वेदभाष्य जहाँ उपर्युक्त सभी समस्याओं से मुक्त है। वहीं पूर्णतः वैज्ञानिक विवेचन से भी परिपूर्ण है। स्वामी दयानन्द ने वेदभाष्य से पूर्व लिखी)ग्वेदादिभाष्य भूमिका द्वारा वेदों में विमानविद्या, नौकाविद्या, तारविद्या आदि का वेद

मन्त्रों द्वारा दिग्दर्शन कराकर सभी भाष्यकारों को तिरोहित कर दिया है। स्वामी दयानन्द का भाष्य पूर्णतः गम्भीर विवेचनों से युक्त है। स्वामी दयानन्द का यह भाष्य उनकी अपनी ऊहा मात्र ही नहीं अपितु प्राचीन परम्परागत ब्राह्मण, निरुक्त आदि ग्रन्थों के अनुसार हैं। यदि हम यह कहते हैं कि वेदों में वैज्ञानिक तथ्य हैं, वेद सार्वभौम व सार्वकालिक है, वेद सर्वहितैषी है, वेदों में हिंसा का निषेध है, तो हमें स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य को स्थापित करना होगा। आज वामपंथी अथवा विदेशी विद्वान् जो आक्षेप वेदों पर लगा रहे हैं, उनका समाधान स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य में ही निहित है। अतः आज प्राचीन वैदिक परम्परा की स्थापना के लिए स्वामी दयानन्द का वेदभाष्य आवश्यक है।

आज समस्त भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में सायण आदि का भाष्य पढ़ाया जाता है। जिसके कारण वैदिक परम्परा व वेद की वैज्ञानिकता पर अनेक बार अध्ययनरत अध्यापकों व छात्रों ने प्रश्न उठाया है। अनेकबार गोहत्या के सन्दर्भ में स्वयं मीडिया ने भी प्रश्न चिह्न लगाया है। जिसका उत्तर केवल स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य को पढकर ही दिया जा सकता है। अतः वर्तमान की यह आवश्यकता है कि सायणादि के भाष्यों की अपेक्षा स्वामी दयानन्द का भाष्य सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में पढाया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार से आग्रह है कि वह अपने स्तर से सभी विश्वविद्यालयों को आदेश करे कि सायण के वेदभाष्य के स्थान पर स्वामी दयानन्द का वेदभाष्य पढाया जाए। जिससे अध्ययनरत छात्र वेद की वैज्ञानिकता व सार्वभौमता को समझ अपनी प्राचीन ज्ञानराशि पर गौरव कर सकें।

५. आर्ष-ग्रन्थों में निहित ज्ञान-विज्ञान से विश्वगुरु की स्थापना -

प्राचीन ऐतिहासिक तथ्यों से यह स्पष्ट है कि भारत जो ज्ञान-विज्ञान में सबका गुरु था, उसका कारण प्राचीन वैदिक वाङ्मय व प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। अनेक विदेशी विद्वानों तथा यात्रियों ने अपनी लेखनी से यह तथ्य स्पष्ट किया है कि भारत ज्ञान-विज्ञान में जो सबका मार्गदर्शक बना है। वह अपने वैदिक साहित्य व शिक्षा पद्धति से बना है। अतः यह स्पष्ट है कि आर्ष-ग्रन्थों में निहित ज्ञान-विज्ञान ही विश्वगुरु बनने की कुञ्जी है।

प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति के लुप्तप्राय होने के कारण ही वैदिक वाङ्मय का सटीक उपस्थापन हम विश्व के समक्ष नहीं कर पायें, जिसके कारण हमारा वैदिक वाङ्मय धूमिल होता चला गया तथा विश्वपटल से पूर्णतः अप्रत्यक्ष हो रहा है। एक स्थिति ऐसी बनी कि हम विश्व के शिक्षा जगत व नवीन शोधों में कहीं पर भी अपना स्थान स्थापित नहीं कर पाये, जिसका कारण हमारे प्राचीन ज्ञान-विज्ञान का ह्रास होना है।

वर्तमान में यह आवश्यकता है कि वैदिक वाङ्मय को वैज्ञानिक तथ्यों के साथ विश्व के समक्ष उपस्थापित किया जाए। जिससे वैदिक वाङ्मय की उपादेयता सम्पूर्ण विश्व को पता लग सके। इसके लिए आवश्यक है कि हमें अपनी शिक्षा पद्धति में आर्ष-ग्रन्थों को सर्वत्र यथोचित स्थान दे। वर्तमान में संस्कृत के छात्र के अतिरिक्त अन्य छात्र वैदिक वाङ्मय के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि वैदिक वाङ्मय का सामान्य अध्ययन भारत के प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य होना चाहिए। ऐसा होने पर ही हम अपने प्राचीन ज्ञान-विज्ञान को विश्व के समक्ष स्थापित कर पाने में सक्षम बन पायेंगे।

६. संस्कृत से संस्कृति-सभ्यता की स्थापना -

संस्कृत विश्व की प्राचीनतम व वैज्ञानिक भाषा है। वर्तमान में वैज्ञानिकों के शोधों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता के समक्ष अन्य भाषा स्थित नहीं हो सकती है।

वर्तमान में यह तथ्य भी ध्यातव्य है कि संस्कृत भाषा के जीवित होने पर ही भारतीय संस्कृति व सभ्यता जीवित है। संस्कृत भाषा का प्रत्येक शास्त्र व प्रत्येक ग्रन्थ हमें मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। संस्कृत भाषा सम्पूर्ण पृथिवी को एक परिवार के रूप में मानती है। संस्कृत भाषा शोषण नहीं अपितु पोषण की शिक्षा देती है। संस्कृत ही पञ्चमहायज्ञों की शिक्षा देती है। संस्कृत भाषा से ही हमें सोलह संस्कारों की शिक्षा प्राप्त होती है। संस्कृत का प्रत्येक

शास्त्र हमें प्रकृति की रक्षा का सन्देश देकर पर्यावरण के प्रति सचेत करता है। इसीलिए यह तथ्य सत्य है कि संस्कृत भाषा के विकास से ही भारतीय संस्कृति का विकास सम्भव है। अतः यह प्रयास होना चाहिए कि सभी प्राथमिक व माध यमिक विद्यालयों में संस्कृत को अनिवार्यरूप से पढाया जाना चाहिए। जिससे भारत का प्रत्येक नागरिक संस्कृत व भारतीय संस्कृति-सभ्यता से परिचित हो सके। बिना संस्कृत भाषा के विकास के हम भारतीय संस्कृति व सभ्यता का विकास नहीं कर सकेंगे। इस विषय पर सभी सरकारों को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

७. संस्कृत की अर्थकरी स्थिति -

संस्कृत भाषा का अध्ययन करने वाले छात्र को प्रारम्भ से ही आजीविका का भय दिखाया जा रहा है। संस्कृत अध्येता छात्र के माता-पिता भी यही सन्देह करते हैं कि पता नहीं आजीविका का क्या होगा? इसीलिए सरकार को संस्कृत भाषा के अध्ययनरत छात्रों के लिए आजीविका के अवसरों में वृद्धि करनी चाहिए। संस्कृत में अर्थशास्त्र, इतिहास, गणित, खगोल, प्रबन्धन, शिल्प, वास्तु, विधि शास्त्र आदि विद्याओं का विस्तृत भण्डार है। इसीलिए इन विषयों को भी संस्कृत से भी जोडना चाहिए। जिससे इन विषयों में भी संस्कृत का छात्र पारंगत हो, इसके साथ ही ऐसा पाठ्यक्रम बनना चाहिए कि एम.बी.ए. का छात्र संस्कृत भाषा में निहित प्रबन्धन के उपायों को पढें। अर्थशास्त्र का छात्र संस्कृत के अर्थशास्त्र में निहित अर्थशास्त्रीय उपायों को पढें। गणित का सामान्य छात्र भी संस्कृत के लीलावती आदि ग्रन्थों को पढें। क्योंकि इन ग्रन्थों को पढने के लिए संस्कृत के छात्रों की प्रत्येक स्थल पर आवश्यकता होगी, जिससे संस्कृत में आजीविका के साधन बढेंगे। आज वास्तु व शिल्प विद्या का वर्चस्व बढ रहा है। संस्कृत में भी वैकल्पिकरूप से इसे पढाया जाना चाहिए। जो छात्र संस्कृत में शिल्प व वास्तु की पढायी करे, उसे वर्तमान के आर्किटेक के समकक्ष मान्यता मिले, जिससे वह भी अपना पंजीकरण करा वर्तमान के आर्किटेक जैसे आजीविका पा सके। इस प्रकार आयुर्वेद से बी.एम. एस. करने वाले छात्र केवल संस्कृत की पृष्ठभूमि के ही हो तो और भी आजीविका के साधन बढ सकेंगे। इसी प्रकार आजीविका के अन्य साधनों का अन्वेषण कर सरकार को चाहिए कि वह संस्कृत के छात्र को भयमुक्त कर दे कि उसे संस्कृत पढकर आजीविका अवश्य मिलेगी। इससे अन्य विषयों के छात्र भी संस्कृत के प्रति आकर्षित होंगे।

८. वर्तमान समय में सञ्चालित गुरुकुलों की सुरक्षा एवं विस्तार-

भारत वर्ष में वर्तमान में भी अनेक गुरुकुल व्यक्तिगत परिश्रम व प्रयासों से चल रहे हैं। सरकार की कोई भी योजना इन गुरुकुलों की सुरक्षा के लिए नहीं है। जिसके कारण अनेक गुरुकुल आर्थिक अभाव में या तो बन्द होते जा रहे हैं या पब्लिक स्कूलों के रूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं। यही कारण है कि हमारी यह प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति निरन्तर ह्रास की ओर अग्रसर है। सरकार जहाँ अन्य मत-मतान्तरों की शैक्षणिक संस्थाओं को करोड़ों रूपये की सहयोग राशि प्रदान कर उनको पल्लवित व पुष्पित कर रही है, वहीं प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति की सुरक्षा व विस्तार के लिए भी उसे मुक्तहस्त से सहयोग देना अति आवश्यक है। जिससे कोई भी गुरुकुल आर्थिक अभाव में क्षीण न हों। सरकार को गुरुकुलों के विकास के लिए निरन्तर प्रयास करना होगा।

९. गुरुकुल की शैक्षणिक पाठ्यक्रम केन्द्रीय व्यवस्था -

प्राचीन पद्धति से संचालित अनेक गुरुकुल भारत वर्ष के अनेक प्रान्तों में ही नहीं अपितु विदेशों में भी चल रहे हैं। सभी गुरुकुलों की एक परिषद् बननी चाहिए, जो उन गुरुकुलों को समय-समय पर दिशा-निर्देश देती रहे। इस परिषद् का अपना एक सार्वभौम पाठ्यक्रम हो, जो भारत के सभी गुरुकुलों में पढाया जाना चाहिए। इससे जहाँ सभी गुरुकुलों में एकरूपता आयेगी, वहीं एक केन्द्रीयकृत व्यवस्था भी बन सकेगी।

१०. गुरुकुलों के अधीत छात्रों को अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश -

वर्तमान में एक नूतन समस्या यह है कि गुरुकुल से पढे छात्र मध्यमा, शास्त्री व आचार्य श्रेणी उत्तीर्ण करते हैं। अनेकत्र ऐसा होता है कि गुरुकुलों से अधीत छात्रों को अनेक विश्वविद्यालयों में प्रवेश नहीं मिलता है। सरकार को

गुरुकुल के छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह आदेश करना चाहिए कि गुरुकुल से अधीत छात्र को सर्वत्र प्रवेश मिल सके। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि गुरुकुल के अधीत छात्र को अन्य पाठ्यक्रम को पढने के लिए भी प्रवेश मिलना चाहिए। जैसे आयुर्वेदाचार्य के लिए संस्कृत के छात्र को प्रवेश नहीं मिलता हैं। जबकि इस उपाधि के लिए पूर्णतः संस्कृत का छात्र ही योग्य है। योग्य होने पर भी प्रवेश न मिलना न्यायोचित नहीं है। ऐसे ही वास्तु, शिल्प, प्रबन्धन आदि के पाठ्यक्रमों में भी गुरुकुल के अधीत छात्र को प्रवेश मिलना चाहिए। इससे जहाँ आजीविका के साधनों की वृद्धिहोगी वहीं छात्र के सामने अनेक विषयों को पढने का विकल्प भी मिलेगा।

११. वैदिक सिद्धान्तों का जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रसार-

वैदिक सिद्धान्तों में सर्वत्र पदे पदे जीवनोपयोगी तत्त्व निहित है। वैदिक साहित्य की प्रत्येक पंक्ति जीवनोपयोगी सारतत्त्व का विवेचन करती है। हमें वैदिक सिद्धान्तों के ऐसे सारतत्त्वों का विवेचन कर उनके प्रचार-प्रसार की भारत सहित विदेशों में व्यवस्था करना चाहिए। जैसे वर्तमान में योग के प्रचार-प्रसार के लिए भारत व विदेश में प्रचार किया जा रहा है। वैसा ही वैदिक सिद्धान्तों के जीवनोपयोगी सरल, सुगम व सर्वग्राह्य तथ्यों का एकत्रीकरण कर उनके प्रचार-प्रसार के लिए प्रयास होना चाहिए। इससे जहाँ संस्कृत के छात्रों को आजीविका मिलेगी, वहीं भारतीय संस्कृति व सभ्यता का सन्देश सम्पूर्ण विश्व को मिलेगा। सम्पूर्ण विश्व भारत के प्राचीन ज्ञान से परिचित होगा। भारत का गौरव विश्व में बढ़ने के साथ-साथ अपनी प्राचीन धरोहर की सुरक्षा भी होगी। विश्व का ध्यान हमारे वैदिक वाङ्मय की ओर आकर्षित होगा, जिससे भारत सहित विश्व के लोग इन वैदिक ग्रन्थों का अध्ययन करेंगे।

शिक्षा से मानव के व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो जाता है- इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भारत की अंग्रेजों के समय से चल रही शिक्षा-प्रणली है। अंग्रेजों ने अपने शासन-काल में जब भारतीय-शिक्षा पर ध्यान दिया, तब उनके सामने पहला प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि शिक्षा के द्वारा वे कैसे युवक उत्पन्न करना चाहते है। इस प्रश्न का समाधान करने के लिए एक कमेटी बनायी गई, जिसकी रिपोर्ट ई.१८३५ में लार्ड मैकाले (१८००-१८५९) ने लिखी। उन्होने इस रिपोर्ट में लिखा कि हमें ऐसे व्यक्ति उत्पन्न करने है जो शरीर से भारतीय हो, परन्तु रहन-सहन, वेश-भूषा, बोल-चाल, विचारों में अंग्रेज हो। शिक्षा के इस उद्देश्य के साथ १८३५ में जिस प्रकार के संस्कारों के युवक को उत्पन्न करने की नींव डाली गयी वह ईंट-गारे की नींव नहीं थी, लोहे और सीमेन्ट की नींव थी, जो अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी वैसी-की वैसी खडी है। अंग्रेज चले गए, परन्तु घर-घर में अंग्रेज मौजूद है, इसलिए मौजूद है क्योंकि लगभग एक सौ पचास साल से अधिक समय से हमारे युवकों के मस्तिष्क पर जिन संस्कारों की चोट लगातार पडती रही, उससे भारतीय मस्तिष्क का अंग्रेज मस्तिष्क बन जाना स्वाभाविक था। अंग्रेजी शिक्षा के संस्कारों ने जिसप्रकार के युवक का निर्माण करना था वह अंग्रेजों के चले जाने के बरसों बाद भी वैसे-का-वैसा यहाँ मौजूद है।

आज पुनः चिन्तन का अवसर उपस्थित है। २१ वी सदी का भारत कैसा हो? प्राचीन काल से ही विश्व को भारत ने ज्ञान-विज्ञान से परिपूर्ण उच्च जीवन मूल्यों से युक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान दिया है। इसका मूल कारण गुरुकुल शिक्षा पद्धति है।

गुरुकुल शिक्षा प्रणाली वर्तमान युग के लिए भी पुरानी-सी दिखने वाली किन्तु क्रान्तिकारी विचारधारा है, जिसे पूर्ण निष्ठा एवं संकल्प के साथ क्रियात्मक रूप दिया जाये, तो हमारे शिक्षा जगत में जो कुडा-करकट जमा हो गया है, उसे एकदम साफ कर सकती है। नये भारत के निर्माण में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है।

- आचार्य डॉ. धनञ्जय
सहमंत्री, वैदिक गुरुकुल परिषद्
मोबाईल नं. : ९४१११०६१०४

'श्रीमद् दयानन्द वैदिक गुरुकुल परिषद्'

कार्यालय - ११९, गुरुकुल गौतम नगर, नई दिल्ली - ११००४९

संविधान प्रारूप

१. **नाम -** इस संस्थान का नाम **'श्रीमद् दयानन्द वैदिक गुरुकुल परिषद्'** होगा, जिसे व्यवहार में 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' के नाम से व्यवहृत किया जायेगा ।

२. **कार्यालय -** श्रीमद् दयानन्द वैदिक गुरुकुल परिषद् का पंजिकृत मुख्य कार्यालय राष्ट्रिय राजधानी श्रेत्र नई दिल्ली में ११९ गुरुकुल गौतम नगर, नई दिल्ली - ११००४९ होगा तथा उपकार्यालय - **'वैदिक गुरुकुल परिषद्'** से सम्बद्ध भारतवर्ष के समस्त गुरुकुल होंगे ।

३. **कार्यक्षेत्र -** वैदिक गुरुकुल परिषद् का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा ।

४. उद्देश्य -

१. वैदिक-सिद्धान्त-पाठ्यक्रम का संचालन करना

२. महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थप्रकाश के तृतीय सम्मुलास में वर्णित और महर्षि के अन्य ग्रन्थों में लिखित पाठ्यक्रम तथा आर्ष प्रणाली का अनुपालन करना ।

३. महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थप्रकाश के द्वितीय सम्मुल्लास में वर्णित अन्य देशीय भाषाओं के अध्ययन के संकेत के अनुसार वैदेशिक भाषाओं एवं ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका के अनुरुप आधुनिक शिक्षा का अध्ययन-अध्यापन कराना ।

४. राजनीति, विज्ञान, कला, अध्यात्म आदि क्षेत्रों में वैदिक एवं आधुनिक दृष्टियों का तुलनात्मक अध्ययन हेतु शोध-संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन कराना ।

५. गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति तथा वैदिक वाङ्मय के अनुशीलन एवं प्रचार-प्रसार के लिए संस्कृत, हिन्दी एवं विविध भाषाओं में पुस्तक एवं पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन कराना ।

६. जो छात्र-छात्रा आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य धारण कर महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रतिपादित वैदिक सिद्धान्तों का प्रचार-प्रसार करने का व्रत ले, उन छात्र-छात्राओं को विशेष सहयोग प्रदान कराना ।

७. वैदिक गुरुकुल परिषद् से सम्बद्ध गुरुकुलों के छात्र-छात्राओं के व्यक्तित्व विकास हेतु शारीरिक (क्रीडा) एवं बौद्धिक प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना ।

८. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों, शिक्षा-बोर्ड, महाविद्यालयों तथा विद्यालयी पाठ्यक्रम में महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रतिपादित पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा ऋषि-ग्रन्थों को समायोजित कराने हेतु प्रयासरत रहना ।

९. देश के विभिन्न-विभिन्न स्थानों पर वैदिक शिक्षा हेतु पाठशाला व गुरुकुलों की स्थापना एवं संचालन करना ।

१०. वैदिक गुरुकुल शिक्षा पद्धति के प्रचार-प्रसार के लिए शिक्षा-बोर्ड व विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना

११. प्राचीन दुर्लभ वैदिक ग्रन्थों एवं ऐतिहासिक सामग्री को चिरस्थायी बनाने के लिए पुरातत्त्वीय गृहों का निर्माण करना एवं उन्हें प्रकाशित करना ।

१२. ऐसे निःस्वार्थ नागरिकों का निर्माण करना, जो अपने उच्च चरित्र और विद्वत्ता द्वारा वैदिक सिद्धान्तों का प्रचार करें ।

१३. वैदिक गुरुकुल परिषद् से सम्बन्धित गुरुकुलों में अध्ययनशील मेधावी गरीब छात्रों की सहायता करना ।

१४.वैदिक गुरुकुल परिषद् से सम्बन्धित गुरुकुलों की सहायता करना-कराना ।

१५.वैदिक गुरुकल परिषद् से सम्बद्ध गुरुकुलों की वैशिष्ट्य-कार्यप्रणाली का अध्ययन करना एवं सहयोग का अनुमोदन करना

१६.जनमानस में तथा वैदिक गुरुकुल परिषद् से सम्बन्धित गुरुकुलों के छात्र-छात्राओं में वैज्ञानिक अभिरूचि विकसित करना, मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता पैदा करना, भारतीय संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में जानकारी देना व आधुनिक समाज में विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए वैदिक दृष्टि को विकसित करना ।

१७.जातीय-धर्मीय विषमताओं को दूर करने के लिए वैदिक गुरुकुल परिषद् से सम्बद्ध गुरुकुलों के छात्र-छात्राओं को वैवाहिक अवस्था में विवाह के इच्छुक होने पर अन्तर्जातीय गुरुकुलीय छात्र-छात्राओं से विवाह के लिए प्रोत्साहित करना ।

१८.वैदिक गुरुकुल परिषद् के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दान, अनुदान, केन्द्र-सरकार, राज्य-सरकार, संस्था/संस्थाओं, व्यक्ति/व्यक्तियों आदि से सहयोग प्राप्त करना ।

५. **'वैदिक गुरुकुल परिषद्' के आय के स्रोत -**

क) 'वैदिक गुरकल परिषद्' से सम्बद्ध गुरुकुलों की सम्बद्धता सहयोगराशि ।

ख) 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' द्वार अपने उद्देश्यों की पूर्ती के लिए दान, अनुदान, शुल्क, सहायता, किसी व्यक्ति/व्यक्तियों, संस्था/संस्थाओं, सरकार, स्थानीय निकाय आदि से लिया जा सकेगा । यह नकद/चैक/ड्राफ्ट/सीधा बैंक में प्रेषण या वस्तु आदि रूप में हो सकता है, इसमें अचल सम्पत्ति भी सम्मिलित है । यह नगद या वस्तुरूप में हो सकता है, इसमें अचल सम्पत्ति भी सम्मिलित हैं । इस सम्बन्ध में यदि अनुदानकर्ता के किसी प्रकार के दिशा-निर्देश हैं तो परिषद् के संविधानुसार उनका ध्यान रखा जायेगा ।

ग) 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' भवन भूमि, मरम्मत, वाहन आदि के लिए बैंक, सोसाइटी, न्यास, संस्था/संस्थानों आदि से ऋण ले सकेगा ।

घ) 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' के लिए विदेशों से भी नगद/चैक/ड्राफ्ट/सीधा बैंक में प्रेषण या वस्तु आदि के रूप में सहयोग प्राप्त किया जा सकता है ।

ङ) वह धन जिसकी तुरन्त आवश्यकता नहीं है, उसे 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' बैंक या अन्य वैध संस्था या व्यवसाय में अपनी सम्पत्ति की बढ़ोत्तरी के निमित्त निवेश कर सकेगा ।

६. **वैदिक गुरुकुल परिषद् की सम्पत्ति का विवरण -**

क) वैदिक गुरुकुल परिषद् की स्थापना ५१०० रुपये मात्र से की जाती है ।

ख) अद्यावधिपर्यन्त किये गये कार्यों का विवरण रजिस्टर एवं लेखा-जोखा ।

७. **'वैदिक गुरुकुल परिषद्' की सम्पत्तियों का स्वामित्व व अधिकार -**

१) 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' की समस्त चल-अचल सम्पत्ति एवं पूंजी का स्वामित्व 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' में निहित होगा ।

२) 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' की सम्पत्ति तथा आय परिषद् के उद्देश्य के लिए ही खर्च होगी ।

३) 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' की सम्पत्ति का विवरण विधिवत रुप से साधारण सभा के समक्ष प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा आय-व्यय का विवरण सरकार द्वारा पंजीकृत लेखानिरीक्षक (सी.ए.) द्वारा स्वीकृत कराया जायेगा । परिषद् का वित्तीय वर्ष १ अप्रैल से ३१ मार्च तक होगा ।

४) 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' को प्राप्त अनुदान, आय, दान राशि एवं निवेश से प्राप्त धन राष्ट्रियकृत बैंक अथवा डाकखाने में जमा करानी होगी ।

५) 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' के नाम से बैंक अथवा डॉक खाने में खोले गये खातों का संचालन परिषद् के अध्यक्ष,

मन्त्री व कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षरों से संचालित किये जायेंगे। किन्हीं दो अधिकारियों के हस्ताक्षरों से लेन-देन किया जा सकता है किन्तु अध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

६) 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' अपने नियम, उद्देश्य एवं अधिकारों में समयोचित आवश्यकता समझने पर 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' स्थायी सदस्यों के दो तिहाई (२/३) सदस्यों के अनुमोदन द्वारा परिवर्तन एवं परिवर्धन कर सकता है। यह परिवर्तन अध्यक्ष एवं मन्त्री की स्वीकृति के उपरान्त ही वैध माना जायेगा।

७) किसी कारणवश 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' के बन्द हो जाने पर उसके कर्ज व लेन-देन के चुकता हो जाने के बाद किसी प्रकार की कोई सम्पत्ति शेष रहती है तो उसका बंटवारा 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' से सम्बन्धित संस्थाओं को समान रुप से किया जायेगा अथवा ऐसी समान उद्देश्यों वाली सभा/समिति/न्यास को हस्तान्तरित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' स्थायी सदस्यों के दो तिहाई (२/३) सदस्यों का अनमोदन अनिवार्य है। यह निर्णय अध्यक्ष एवं मन्त्री की स्वीकृति के उपरान्त ही वैध माना जायेगा।

८) 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' के सदस्य अथवा सदस्यगण किसी भी ऐसी हानि के लिए तवतक उत्तरदायी नहीं होंगे, (जो कि प्रशासनिक कारणों से अथवा उस धन के उपयोग के कारण या किसी सम्पत्ति के क्षय के कारण हुई हो) जवतक कि ऐसी हानि या क्षय किसी सदस्य द्वारा जान-बूझकर किये गये कार्य द्वारा हुआ प्रमाणित न हो। इस सम्बन्ध में 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' का निर्णय अन्तिम होगा।

८. **वैदिक गुरुकुल परिषद् के सदस्य -**

क) 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' से सम्बद्ध सभी गुरुकुलों क आचार्य/आचार्या/प्रबन्धक/संचालक सदस्य होंगे। ये सभी सदस्य स्थायी सदस्य कहलायेंगे।

ख) सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के पदेन प्रधान सदस्य होंगे। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान चाहे तो बैठक में अपने हस्ताक्षर से अनुमोदित किसी सदस्य को भेज सकते हैं।

ग) 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षाविद्, समाजसेवी, गुरुकुलशिक्षानुरागी एवं महर्षि दयानन्द सरस्वती के सिद्धान्तों में निष्ठा रखने वाले पाँच सदस्य सर्वसम्मति से लिये जायेंगे। ये परामर्शक सदस्य कहलायेंगे।

घ) 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' को तन-मन-धन से सहयोग करने वाले संरक्षक सदस्य कहलायेंगे।

९. **सदस्यों की योग्यता -**

१) शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना।

२) न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित न होना।

३) गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली एवं महर्षि दयानन्द सरस्वती के प्रति निष्ठावान होना।

४) तन-मन-धन से परिषद् का हितैषी होना।

१०. **सदस्यों की अवमुक्ति -**

१) आर्थिक, चारित्रिक एवं हत्या सम्बन्धी जैसे अपराधों के कारण सत्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा सचमुच ही अपराधी घोषित होने पर।

२) अधिकारिक व्यक्ति द्वारा विक्षिप्त घोषित किये जाने पर सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

३) मृत्यु हो जाने पर।

४) निरन्तर तन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।

५) स्वेच्छा से त्याग पत्र देने पर। यह त्याग पत्र अध्यक्ष को देय होगा। उस त्याग पत्र को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष के अनुमोदन से कार्यकारिणि को होगा।

६) 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' की सम्बद्धता समाप्त होने पर।

११. 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' के सदस्यों के अधिकार, कर्तव्य एवं कार्यकाल -

अ) 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' का संचालन साधारण सभा एवं कार्यकारिणि सभा द्वारा किया जायेगा ।

आ) 'वैदिक गुरुकु परिषद्' के स्थायी सदस्य साधारण सभा के सदस्य होंगे ।

इ) 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' के संचालन के लिए कार्यकारिणि सभा का गठन साधारण सभा द्वारा किया जायेगा ।

ई) सभी कार्य साधारण बहुमत से सम्पन्न किये जायेंगे ।

उ) 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' की प्रत्येक कार्यकारिणि सभा का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा । कार्यकाल समाप्त होने पर नवीन कार्यकारिणि का गठन एक मास से छः मास के भीतर कराना अनिवार्य है । जब तक नवीन कार्यकारिणि का गठन नहीं किया जाता तब तक वर्तमान कार्यकारिणि क्रियाशील रहेगी किन्तु कोई नवीन निर्णय न ले सकेगी ।

ऊ) नवीन कार्यकारिणि को सम्पूर्ण दस्तावेज तत्कालप्रभाव से हस्तान्तरित करना आवश्यक है ।

ए) वर्तमान कार्यकारिणि के किसी सदस्य के अवमुक्ति होने की दशा में कार्यकारिणि सभा के साधारण वहुतमत से स्थानापन्न व्यवस्था स्वीकार्य होगी किन्तु यह स्थानापन्न व्यवस्था साधारण सभा द्वारा नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर अनुमोदिक कराना अनिवार्य है ।

ऐ) 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' के उद्देश्य-संचालन हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया जा सकता है । समितियों का गठन कार्यकारिणि द्वारा अध्यक्ष के अनिवार्य अनुमोदन से किया जायेगा ।

ओ) परामर्श एवं संरक्षक सदस्यों की नियुक्ति प्रत्येक तीन वर्ष के लिए साधारण सभा द्वारा की जायेगी । इनका विस्तारण भी निरन्तर किया जा सकता है ।

औ) सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान (पदेन), संरक्षक एवं परामर्शक कार्यकारिणि के सम्मानित अन्तरंग सदस्य होंगे ।

अं) कार्यकारिणि में अध्यक्ष-१, उपाध्यक्ष-२, मन्त्री-१, सहमन्त्री-२, कोषाध्यक्ष-१, प्रस्तोता-१ तथा अन्तरंग सदस्य-१० समेत कुल १८ सदस्य होंगे । सम्मानित अन्तरंग सदस्य इनसे भिन्न होंगे । कार्यकारिणि के पद एवं सदस्यों का निर्धारण आवश्यकता अनुसार साधारण सभा के अनुमोदन से वढ़ाया जा सकता है ।

अः) कार्यकारिणि सभा द्वारा लिये गये किसी भी विवादस्पद ऐसे निर्णय जो कि वेदविरुद्ध तथा महर्षि दयानन्द सरस्वती की मान्यता के विरुद्ध हो, निरस्त करने का पूर्ण अधिकार साधारण सभा को होगा ।

१२. पदाधिकारियां के अधिकार एवं कर्तव्य -

अध्यक्ष -

१) 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना ।

२) मन्त्री को बैठक बुलाने के लिए निर्देश करना तथा पर्यवेक्षक वनना ।

३) प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करना ।

४) ऐसे मामलों के विषय में जिनको उचित समझे, सभी सदस्यों को सम्बोधित करना ।

५) कार्यकारिणि के परामर्श से की गई नियुक्तियों, उनके वेतन-भत्तों, सेवा-शर्तों पर विचार करना तथा परिषद् के नये हिसाव-किताव का निरीक्षण करना ।

६) 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' के उद्देश्य-संचालन हेतु विभिन्न समितियों का गठन करना ।

७) 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' के संविधान का अनुसार जहा आवश्यक है वहाँ संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही करना

उपाध्यक्ष -

१) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करना ।

२) अध्यक्ष की आज्ञा से परिषद् के कार्यों को सम्पादित करना ।

३) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्यभार को संभालना ।

मन्त्री -

१) अध्यक्ष के निदेशानुसार परिषद् तथा संचालन समितियों की बैठकों को बुलाना ।

२) समस्त बैठकों की कार्यवाही का रिकार्ड बनाना व रखना ।

३) परिषद् के समस्त कार्यों पर नजर रखना ।

४) प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करना ।

५) परिषद् के खातों का अध्यक्ष के निर्देशानुसार ऑडिट करवाने व वार्षिक वजट बनवाने में कोषाध्यक्ष का सहयोग करना ।

६) परिषद् की ओर से सभा सरकारी, गैर सरकारी संस्था/संस्थाओं, व्यक्ति/व्यक्तियों को अध्ययक्ष के निर्देशानुसार पत्र लिखना, ज्ञापन भेजना, दस्तावेजों को तैयार करना ।

७) परिषद् के उद्देश्यों के लिए दान, चन्दा आदि इक्कट्ठा करना ।

८) वैदिक गुरुकुल परिषद् के समस्त दस्तावेजों को सुरक्षित रखना तथा नवीन कार्यकारिणि को समस्त दस्तावेज हस्तान्तरित कराना ।

सहमन्त्री -

१) मन्त्री की अनुपस्थिति में कार्यभार को संभालना ।

२) मन्त्री के कार्यों में सहभागिता प्रदान करना ।

कोषाध्यक्ष -

१) दान, चन्दा आदि की रसीद देना ।

२) दान-रसीद एवं व्ययपत्रक का हिसाव-किताव रखना ।

३) परिषद् के बैंक खातों का लेखा-जोखा रखना ।

४) वार्षिक आय-व्यय का विवरण मन्त्री के साथ मिलकर अध्यक्ष के निर्देशानुसार तैयार करना ।

५) वार्षिक हिसाव किताव और लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन तथा आगामी वर्ष के लिए अनुमानित आय-व्यय का विचार करना एवं वजट प्रस्तुत करना ।

६) सरकार द्वारा स्वीकृत लेखा निरीक्षक (सी.ए.) द्वारा आय-व्यय का निरीक्षण कराना तथा सरकार से स्वीकृत करवाना ।

प्रस्तोता -

१) शिक्षा सम्वन्धी कार्य को सुचारु रूप से संचालित कराने के लिए परीक्षा एवं परीक्षण आदि की व्यवस्था कराना

२) अध्यक्ष, मन्त्री से मिलकर प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना ।

३) पाठ्यक्रम निर्माण एवं संशोधन कराना ।

४) प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करना ।

१३) **'वैदिक गुरुकुल परिषद्' की बैठक बुलाने के नियम-**

क) 'वैदिक गुरुकुल परिषद्' की साधारण सभा की वैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी ।

ख) कार्यकारिणि सभा की वैठक न्यूनतम वर्ष में दो बार आयोजित की जायेगी ।

ग) एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में गणपूर्ति पूरा समझा जायेगा । अध्यक्ष अथवा मन्त्री में से किसी एक का उपस्थित होना गणपूर्ति के लिए अनिवार्य होगा ।

घ) किसी भी आवश्यक तात्कालिक विषय पर निर्णय लेने के लिए गणपूर्ति सदस्य संख्या का १/३ भाग होना आवश्यक है।

ङ) प्रत्येक वैठक की सूचना वैठक तिथि से कम से कम वीस दिवस पूर्व सदस्यों को देना आवश्यक है ।

च) यदि वहुत आवश्यक हुआ तो कार्यकारिणि सभा की विशेष वैठक अध्यक्ष की आज्ञा से की जा सकती है । जिसकी सूचना वैठक तिथि से कम-से-कम दो दिन पूर्व कार्यकारिणि के सदस्यों को देना अनिवार्य है ।

SOCIO-PHILOSOPHICAL THEME ON

GURUKUL EDUCATION POLICY

(On the occassion of Antar Rashtreeya Gurukul Mahasammelan-
INTERNATIONAL CONFERENCE ON GURUKUL EDUCATION POLICY)
On 6th, 7th, 8th July 2018 at Haridwar

- Prof. Vithal Rao Arya
Gen. Secretary, Sarvadeshik Arya Pratiidhi Sabha

Since the inception of human civilization across different continent of this planet earth; almost all clans of human were leading natural life-style in convergence with their respective ecosystem as mentioned in Vedas. Almost all clans were accepting God as supernatural force and creator of this universe.They were consuming natural resources sustainably to fulfill their survival needs only. In the running course of time division of society has taken place on self and selfless philosophy and this is nothing but the thinking of untilising the immense resources for self and other theory selfless i.e. to protect the nature and refill it though they use the resources only for their need, Later because of misconception of philosophy it created the foundation of Caste, Class, Sects, and Religion based division of the human society, and with due course of Scientific advancements; atheism emerged and humans deviated from the path of cohesive - ethical values and segregated themselves from other living creatures and nature. This led to exploitation of natural resources. This deviated journey is still continuing in contemporary world order; as most of the countries have adopted the path of materialism, consumerism, protectionism, and regional disfavoured as well as territorial boundaries based on hatred and so on. On the name of religion; dynasty and development; thousands and thousands of heinous homicide were done to eliminate specific human clans from this planet and it is still continuing on the name of so called modern development. But, when the present development challenges the very existence of human and living beings then question arise,"what for this development is?"

Science and technology has taken the globe towards a new era and created unimaginable communication systems and other facilities. The modern development on the basis of science and technology has brought the world nearer but the present developed world is facing with some of the severe deficiencies in various fields leading towards the imbalance of ecology. Human demographics as a whole are suffering with consequences of exploitation of natural resources which is questioning on very basic existence of human being and as well as on existing of living being.

However, UNITED NATIONS have formulated Sustainable Development Goals 2030 to check and balance this scenario but its very existence and relevance has become a matter of debate due to its financial dependability on developed nations, non-legal binding natures of its treaties and conventions as well as lack of empowered enforcement system. United Nation is asking all the countries world wide, particularly putting a target to developed countries to see that initiatives would be taken to provide pure drinking water,

pure air, protect forests, reduce climate change and global warming and also demanding to take health care to all and worldwide. The sustainable development goal agenda is on basic needs of the human and living beings. If the above demands are not met by the end of 2030, the so called modern science and technological development will certainly lead to the disaster of whole nature including all living beings. Even if it is met to some extent but without love and affection, kindness, justice and compassion, the human society will be at highest degree of hopelessness.

Unfortunately, the whole humanity today divided on the considerations of caste, class, creed, religion and like. The World is beset with the bane of hunger, disproportionate possession of wealth etc. The World does not follow the humanistic values. If this existing situation continues then the World miss the last chance of survival.

This modern development has already spoiled the living conditions of marginalized in poor across the world in spite of having the International Organisations and its regulatory frame works. This so called modern development is lacking with basic ideology and philosophy of cohesiveness, non-violence and human relations. The present global education system is demanding a paradigm shift in socio-economic and educational system. Education should be on need based policy of development which could strongly advocate for conservation and protection of natural and ecological balance and what the Veda or oldest Indian Education System says :

यत्र विश्वम् भवत्येकनीडम् Or 'वसुधैव कुटुम्कम्' Or

ओ३म् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षंशान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः।

वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वंशान्तिः शान्तिरेवः शान्तिः सामा शान्तिरेधि।।

The Education system requires a revolutionary change in India. Not only India but throughout the world. The oldest Indian education system which is logically best and having a scientific temper is only the remedy which creates a friendly human society, a friendly nature system based on need instead of greed and also creates the casteless, classless, raceless and a society of human relations irrespective of religions. Hence the Vedic educational system which will be called as Gurukul Education System is the need of the present society. This system has socio-economic relevance with scientific potential. Vedas are not having the ritualistic content but has logical and scientific knowledge, thus it has its socio-economic and scientific significance and more particularly with sustainable development ideology.

RATIONALE

Through Proposed World Conference on Gurukul Education System which is to be held in Haridwar, Uttarakhand on 6th, 7th & 8th Julyof 2018 will be an attempt to find out a solution to the present education system based on oldest, logically best with scientific temper to combat the menaces of present modern development and also to meet the challenges of climate change, economic disparity, poverty, hunger, illiteracy and other discriminations. The International Conference on Gurukul Educational Policy and sustainable development will seriously discuss on all issues related to the ecology,

humanity and sustainable socio-economic development with a human touch. Hence this will be a great oppurtunity to gather about 150 Gurukuls (including their students and acharyas , about 25000) functioning in India and abroad with their pilot projects for last 100 or more than 100 years.

AN INTRODUCTION TO INTERNATIONAL CONFERENCE OF GURUKULS ON ALTERNATIVEAND SUSTAINABLE EDUCATION POLICY 2018 :

The founder of Arya Samaj Maharshi Dayanand Saraswati condemning the superstitious believes of society advocated about the logical, scientific knowledge of Vedas and proposed a syllabus for more scientific development of the society with a human touch. His was the inclusive policy of nature along with all living beings. Dayananda's idea thatVeda and its Gurukul Education System contains truth of science as well as science of true religion. Based on this later the activists of Arya Samaj has established several Gurukuls in which all students have been given equal opportunity with equal facilities without any discrimination. Swami Shraddhanand was the pioneer and estabilished the Gurukuls and its Education system. He estabilished the first Gurukul by name Gurukul Kangadi at Haridwar. Even today after more than 100 years in all parts of India Arya Samajists are running about 200 pilot projects of best education system with high dignity of humanity without any discrimination based on colour, caste, class and religion etc. and with committed pledge to dedicate themselves for the upliftment of society and Nation.

The Sarvadeshik Arya Pratinidi Sabha, NewDelhi an apex body of AryaSamaj decided to organize an International Conference on Gurukul Education System and its policy on sustainable development and morals are the part of it. It has also been decided to propose an alternative education policy not only for India but for the whole World and to organise conference in such a manner so that Gurukul Ideology based on Vedas could be glorified all over the World. As United Nations identified similar challenges to ensure sustainable development, so decision has been taken to organise an International Conference of Gurukula's on 6th, 7th and 8th July 2018 at Gurukul Kangadi Venue in Haridwar, Uttarakhand, and is supposed find out solutions to combat the menaces which World is confronting today.

OBJECTIVES OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON GURUKUL EDUCATION SYSTEM 2018

The conference has three fold objectives :

* To dispel misconceptions about the Gurukul Education System or Aarsh Education System of Vedas and to project Gurukul Education system in proper perspective;

* To inculcate the spirit of NEED BASED SOCIO-ECONOMIC AARSH EDUCATION SYSTEM AND DEVELOPMENT WITH AN HUMAN TOUCH

* To focus on UN identified and declared subjects for Sustainable Development Goals 2016-2030 alongwith human values to protect the nature and humanity and develop human relations. **(All are welcome to Gurukul Sammelan)**

श्री मद् दयानन्द वैदिक गुरुकुल परिषद्

का

प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन

दिनांक 30-09-2018 स्थान : पं. नरेन्द्र भवन, हैदराबाद

वैदिक गुरुकुल परिषद् के राष्ट्रीय अधिवेशन में पधारनेवाले प्रमुख आचार्य एवं आचार्याओं की सूचि

1. स्वामी प्रणवानन्द जी
2. स्वामी धर्मानन्द जी सरस्वती
3. स्वामी आर्यवेश जी
4. स्वामी धर्मेश्वरानन्द जी
5. आचार्य सोमदेव शास्त्री जी
6. डॉ. प्रियंवदा वेद भारती जी
7. डॉ. सुमेधा जी
8. डॉ. सूर्यादेवी जी
9. आचार्य सुकामा जी
10. डॉ. नंदिता जी शास्त्री
11. डॉ. पवित्रा जी
12. आचार्या धारणा जी
13. आचार्या गायत्री जी वाराणासी
14. आचार्या आदेश आर्या जी
15. आचार्या शिवदेवी जी
16. डॉ. सीमा श्रीमाली जी
17. डॉ. धर्मेन्द्र कुमार जी
18. आचार्य धनञ्जय जी
19. आचार्य हरिदत्त शास्त्री
20. आचार्य जयेन्द्र जी
21. आचार्य धर्मपाल जी शास्त्री
22. आचार्य कोमल जी
23. डॉ. उदयनाचार्य जी
24. स्वामी शान्तानन्द जी
25. स्वामी उदगीतानन्द जी
26. आचार्य जीवन प्रकाश जी
27. आचार्य लोकेनद्र जी
28. आचार्य नागेन्द्र जी
29. आचार्य हरि निवास जी
30. डॉ. दीनानाथ जी
31. डॉ. विजेन्द्र शास्त्री
32. आचार्य भानु प्रताप जी
33. आचार्य सुशील जी मधुबनी
34. स्वामी मनुदेव जी
35. डॉ. योगेश जी
36. डॉ आनन्द कुमार जी
37. आचार्य मनुदेव जी
38. आचार्य रामपाल शास्त्री
39. आचार्य ज्ञानवीर सिंह जी
40. आचार्य सुरेन्दर सिंह जी
41. आचार्य ब्रह्मदत्त जी
42. आचार्य ब्रह्मदत्त जी उपाचार्य
43. डॉ. सीमा जी गोरखा
44. आचार्य गुरुकुल हज़ारीबाग
45. उपाचार्य गुरुकुल हज़ारीबाग
46. डॉ. देवेन्द्र शेखावत जी
47. श्रीमती प्रतिभा जी
48. आचार्य मित्रमहेश जी
49. श्री मैत्रेय कुमार
50. श्री धर्मेन्द्र जी
51. श्री घनश्याम मुरारी

॥ ओ३म् ॥

श्री मद् दयानन्द वैदिक गुरुकुल परिषद्

का

प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन

दिनांक 30-09-2018 स्थान : पं. नरेन्द्र भवन, हैदराबाद

अधिवेशन में भाग लेनेवाले आचार्या / आचार्य / विशिष्ठ माहानुभावों का व्यक्तिगत विवरण

१) प्रतिनिधि आचार्या / आचार्य /विशिष्ट महानुभाव का शुभ नाम .....

२) प्रतिनिधि से सम्बन्धित गुरुकुल / संस्था का नाम व पता .....

.....

.....

.....

३) प्रतिनिधि आचार्या / आचार्य / विशिष्ट महानुभाव का मोबाईल नं.....

४) प्रतिनिधि आचार्या / आचार्य / विशिष्ट महानुभाव का Whatsup No.....

५) प्रतिनिधि आचार्या / आचार्य / विशिष्ट महानुभाव का E-mail I.D. : .....

हस्ताक्षर

Dateof Publication 2nd & 17th of every Month, Date of posting 3rd and 18th of every month
आर्य जीवन 03-10-2018 Registered-Reg. No. HD/783/2018-20 RNI No. 52990/

ఆర్య జీవన్
హిందీ-తెలుగు द्विभाषा పక్ష పత్రిక
Editor: Vithal Rao Arya, M.Sc. LL.B., Sahityaratna
Arya Prathinidhi Sabha AP-Telangana, Sultan Bazar, Hyderabad-95.
Phone No. 040-24753827, 66758707, Fax : 040-24557946
Annual subscription Rs. 250/- సంపాదకులు - విఠల్‌రావు ఆర్య, మంత్రి సభ

To,

Swami Swarupanand ji Saraswath
Arya Samaj Mandir,
Hanuman Road,
New Delhi-1100

'श्रीमद् दयानन्द वैदिक गुरुकुल परिषद्'

प्रथम अधिवेशन (३० सितम्बर २०१८)

स्थान : पं. नरेन्द्र भवन, राजमोहल्ला, हैदराबाद

प्रस्तावित प्रतियोगिता

क्र.	प्रतियोगिता	प्रतिभागी एवं प्रतियोगिता विवरण	पुरस्कार
१.	वैदिक सिद्धान्त प्रश्नमंच	कक्षा - १ से ८ पर्यन्त के छात्र सन्दर्भ ग्रन्थ- बालशिक्षा, व्यवहारभानु, पंचमहायज्ञविधि वैदिक धर्मप्रश्नोत्तरी जीवन चरित्र (महर्षि दयानन्द सरस्वीती)	प्रथम-३०००/- द्वितीय-२०००/- तृतीय-१०००/- ५ सान्तवना पुरस्कार-५००/-
२.	अष्टाध्यायी कण्ठपाठ एवं लेखन	पूर्वमध्यमा उत्तरमध्यमा श्रेणी	अग्रिम १० उत्तीर्ण छात्रों को ५०००/- (प्रति छात्र)
३.	धातुपाठ कण्ठपाठ एवं लेखन	पूर्वमध्यमा उत्तरमध्यमा श्रेणी	अग्रिम १० उत्तीर्ण छात्रों को ४०००/- (प्रति छात्र)
४.	शास्त्रार्थ विचार (वाद-विवाद)	शास्त्री एवं आचार्य श्रेणी विषय- जीवनोपयोगिनी संस्कृतभाषा समय - ७ मिनट	प्रथम-५०००/- द्वितीय-३०००/- तृतीय-२०००/-
५.	त्रिभाषी कोषः कण्ठपाठ एवं लेखन	प्रथमातः शास्त्री पर्यन्त	प्रथम-५०००/- द्वितीय-२०००/- तृतीय-१०००/-

THE VIEWS & THE NEWS PUBLISHED IN THIS ISSUE MAY NOT NECESSARILY BE AGREEABLE TO THE EDITOR
Editor : Vithal Rao Arya ● Email : acharyavithal@gmail.com, Mobile : 09849560691
Ph: 040-24753827, Email : acharyavithal@gmail.com
సంపాదకులు : శ్రీ విఠల్‌రావు ఆర్య, మంత్రి, ఆర్యప్రతినిధి సభ, ఆ.ప్ర.-తెలంగాణ, సుల్తాన్ బజార్, హైదరాబాద్-95.
संपादक : श्री विठ्ठलराव मंत्री सभा ने सभा की ओर से आकृति प्रिन्टर्स में मुद्रित करवा कर प्रकाशित किया ।
प्रकाशकः आर्य प्रतिनिधि सभा आं.प्र.-तेलंगाना, सुल्तान बाज़ार, हैदराबाद तेलंगाना-95.